न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 16 / 2011

प्रविष्टि दिनांक 03.03.2011

1–लाला पुत्र देव्या जाति बैरवा निवासी दाबडदूम्बा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
2–लादू पुत्र देव्या जाति बैरवा निवासी दाबडदूम्बा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
3–रतिराम पुत्र देव्या जाति बैरवा निवासी दाबडदूम्बा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

............प्रार्थीगण

बनाम

1.देवीलाल पुत्र गोरधन जाति बैरवा निवासी रामसिंहपुरा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
2.भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह

.... अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970

उपस्थिति : (1) श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

<u>निर्णय</u> **दिनांक 26.12.2019**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.11.2010 को प्रतिपक्षी संख्या–1 को आ0ख0नं0 379 रकबा 0.53 है0भूमि वाके ग्राम खिजूरिया तहसील टोडारायसिंह में आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हैतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक प्रार्थीगण को बहस हेतु अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अभिभाषक प्रार्थीगण व प्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। अतः बहस अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि दिनांक 26.11.2010 के द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 को आराजी खसरा नम्बर 379 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम खजूरिया तहसील टोडारायसिंह मे आवंटित की गई है। प्रतिपक्षी भूमिहीन कृषक होने व उक्त भूमि पर पुराना कब्जा काश्त होने से अलांट की गई है। अलांट के वक्त उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नही था और पूर्व मे भी नही रहा है। आवेदकगण का आराजी खसरा नम्बर 379 रकबा 0.53 है0 मे न तो आज की तिथी मे कब्जा है ना कभी पूर्व मे था। आराजी खसरा नम्बर 111 लगभग 100–125 बीधा भूमि का एक रकबा है आवेदकगण द्वारा आवेदन के साथ उनको आवंटित की गयी भूमि की शीट(तरमीम शीट)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

भी पेश नही की गई है। मात्र यह कह देने से की ख0नं0 111/1/10/1 के हाल ख0नं0 378,379,351, व 374/582 बनते है गलत है। मौके पर विवादित ख0नं0 379 जिसमे विपक्षी संख्या 1 का संबंध है पर आवेदकगण का कोई कब्जा नही है। आवंटन नियमानुसार विधिपूर्वक विपक्षी संख्या 1 के ह कमे किया गया है तथा आवंटन दिनांक से लेकर आज दिनांक तक उक्त भूमि पर कब्जा काश्त विपक्षी संख्या 1 का चला आ रहा है। बद्री पुत्र माधो जाति धाकड निवासी रामसिंहपुरा तहसील टोडारायसिंह को नामान्तकरण संख्या 300 दिनांक 31.03.2011 को आवंटन हुई है जिसे प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन मे पक्षकार नही बनाया है। जबकि विधि अनुसार उक्त बद्री को भी उक्त आवेदन मे पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। अतः प्रार्थीगण का आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस मे कथन किया कि भू– आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 मे दिनाक 26.11.2010 को केम्प ग्राम पंचायत दाबडदूम्बा मे अप्रार्थी देवीलाल को आ0ख0नं0 379 रकबा 0.53 है0 भूमि वाके ग्राम खिजूरिया तहसील टोडारायसिंह मे नियमानुसार आवंटन की गई है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी भूमिहीन कृषक है तथा आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना की है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि अप्रार्थी देवीलाल पुत्र गोरधन जाति बैरवा निवासी रामसिंहपुरा को भू–आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा दिनाक 26.11.2010 को प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 केम्प ग्राम पंचायत दाबडदूम्बा मे आ0ख0नं0 379 रकबा 0.53 है0 भूमि वाके ग्राम खिजूरिया मे आवंटन किया गया है।

आवंटन पत्रावली मे पटवारी रिपोर्ट मे आवंटी देवलाल पुत्र गोरधन को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 379 रकबा 0.53 है0 मे 1/2 हिस्से पर वक्त आवंटन पूर्व मे अतिक्रमण बताया गया है। आवंटी देवलाल पुत्र गोरधन के हक मे आवंटित भूमि खसरा नम्बर 379 रकबा 0.53 है0 का नागान्तकरण अभी तक नही किया गया है। आवंटी की ओर से प्रस्तुत खसरा परिर्वतनशील सम्वंत 2066–2074 मे खसरा नम्बर 379 रकबा 0.53 है0 भूमि मे 1/2 हिस्से मे ज्वार,मूंग,चना,सरसों आदि काश्त अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा काश्त करना अंकित है। इस प्रकार आवंटन से लेकर वर्तमान समय तक आवंटित भूमि खसरा नम्बर 379 रकबा 0.53 है0 भूमि मे 1/2 हिस्से पर ही अप्रार्थी का कब्जा काश्त है।

ऐसी स्थिति मे यह न्यायहित मे होगा कि अप्रार्थी के हक मे आवंटित रकबा कब्जे के अनुसार संशोधित किया जावे। अतः प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर आवंटन सलाहाकार समिति की सिफारिश पर पारित आवंटन आदेश/पत्रावली संख्या

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

57/2010 दिनांक 26.11.2010 के संबंध मे संशोधित आदेश दिये जाते है कि देवलाल पुत्र गोरधन जाति बैरवा निवासी रामसिंहपुरा को ग्राम खिजूरिया मे आवंटित खसरा नम्बर 379 का आवंटित रकबा 0.53 है0 के स्थान पर 0.26 है0 किया जाता है।

तहसीलदार टोडारायसिंह इस संशोधित आदेश की पालना मे एक माह के अन्दर नियमानुसार नामान्तकरण की कार्यवाही सम्पादित करे।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(सुखराम खोखर)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.01.20 13:09:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: